भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 483
दिनांक 28 नवंबर, 2024

जनजातीय परिवारों को एल.पी.जी. सिलेंडर का वितरण

†483. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय परिवारों को 25 लाख एल.पी.जी. सिलेंडरों के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) तेलंगाना में सिलेंडरों के वितरण हेतु पात्र परिवारों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं/अपनाए जाने हैं और इसके दायरे में विस्तार करने के लिए क्या योजनाएं हैं;
(ग) क्या सरकार के पास तेलंगाना के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में सस्ती एलपीजी और रिफिल की सुगम उपलब्धता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तेलंगाना में जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत मई, 2016 में की गई थी जिसका उद्देश्य तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्य के नाम पर बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करना है, बर्शते परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियम व शर्तें पूरी हो रही हों। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) सूची से संबंधित परिवार या सात अन्य श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति (एससी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, सबसे पिछ्डा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वनवासी, द्वीप/नदी द्वीपों के निवासी, चाय बागान/पूर्व चाय बागान श्रमिक या उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल न होने वाले गरीब परिवार 14 सूत्रीय घोषणा पत्र प्रस्तुत करके पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र हैं। उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्व-घोषणा पत्र का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमयूवाई के तहत 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पहले ही एससी/एसटी उपभोक्ताओं को दिए जा चुके हैं। तेलंगाना में, कुल 11.85 लाख पीएमयूवाई कनेक्शनों में से

एससी/एसटी उपभोक्ताओं को 5.06 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके है। पीएमयूवाई के तहत तेलंगाना में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों के जिला-वार ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

पीएमयूवाई के शुरु होने से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार सिलेंडर की सुरक्षा जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी पुस्तिका और संस्थापना शुल्क के लिए प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन 1600 रुपये तक का खर्च वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से, यह खर्च 14.2 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपये प्रति कनेक्शन और 5 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये प्रति कनेक्शन तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा सरकार दिनाँक 21 मई, 2022 से प्रभावी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में अधिकतम 12 रिफिलों तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने दिनाँक 5 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर कर दी है।

पीएमयूवाई योजना की शुरूआत से, ओएमसीज ने पूरे देश में 7944 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों (दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.10.2024 के दौरान चालू किए गए) को चालू कर दिया है जिसमें से 7361 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स (अर्थात 93 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62% से बढ़कर अब लगभग संतृप्ति के करीब पहुंच गया है। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और एलपीजी उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए, ओएमसीज नियमित रूप से ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायतों का आयोजन करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें राजसहायता राशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद खर्च को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए मनाने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन, बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर, अप्रैल से दिसंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 मुफ्त रिफिल आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति खपत (14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के संदर्भ में) वर्ष 2019-20 में प्रति वर्ष 3.01 रिफिल से बढ़कर अक्टूबर, 2024 तक खपत के आधार पर 4.34 रिफिल प्रति वर्ष हो गई है।

****

" जनजातीय परिवारों को एल.पी.जी. सिलेंडर का वितरण" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के भाग (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक

जिला	कुल पीएमयूवाई कनेक्शन
आदिलाबाद	39,414
भद्राद्रि कोठागुडेम	71,556
हैदराबाद	1,326
जगतियाल	45,588
जनगांव	17,579
जयशंकर भूपालपा	29,025
जोगुलाम्बा गडवाल	33,510
कामारेड्डी	45,785
करीमनगर	31,971
खम्मम	83,176
कोमराम भीम आसिफाबा	30,763
महबुबाबाद	27,332
महबूबनगर	42,669
मंचेरियल	32,712
मेडक	32,134
मेधाल मल्काजगिरी	1,934
मुलुगु	19,009
नगरकुरनूल	32,456
नलगोंडा	71,270
नारायणपेट	31,555
निर्मल	36,391
निजामाबाद	51,327
पेद्दापल्ली	25,928
राजन्ना सिरसिला	23,218
रंगारेड्डी	27,494
संगारेड्डी	50,445
सिद्दीपेट	31,553
सूर्यापेट	58,696
यदाद्री भोंगिरी	12,853
विकाराबाद	53,775
वानापर्थी	20,794
वारंगल	30,547
वारंगल रूरल	42,093
कुल	11,85,878

स्रोतः औद्योगिक आधार पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

****